तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.11/2020**	नम्बर व अहकाम जो हुक्म के तामिल में जारी हुए
05.10.2020	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 से 3 अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–4 (राजकमल पंचारिया, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मण्डोर स्पाइसेस एण्ड प्रोपराईटरी फूड प्रोडक्ट्स, एच.–30, रिको इण्डस्ट्रीयज एरिया, मथानिया, जोधपुर) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–4 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 14.2.2019 को जिस वनस्पति (एनर्जी गोल्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरोही श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार Sub-standard पाया गया है। जो मेरी फर्म द्वारा ही पैकिंग किया गया है। हमनें जैसी अवस्था में पैकिंग हेतु प्राप्त किया उसी अवस्था में पैक किया था। हमारी फर्म द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नही की गई है। अब यह कार्य मैनें पूर्ण रुप से बंद कर दिया है। मैं वर्तमान में प्राईवेट नौकरी करता हूँ। भूलवश हुई गलती/जुर्म को मैं स्वीकार करता है। कृपया लोक अदालत की भावना से इस प्रकरण को समाप्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 से 3 की ओर से पूर्व में अलग अलग लिखित जवाब इस न्यायालय में दिनांक 26.2.2020 को प्रस्तुत हो चुके है, जिन्होनें अपने जवाब में यह अंकित किया है कि उन्होनें खाद्य पदार्थ वनस्पति (गोल्ड एनर्जी ब्राण्ड) को पैकिंग अवस्था में जरिये बिल क्रय कर पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या–4 की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या–4 ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना किये जाने का अनुरोध किया। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.2.2019 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म वाराही जनरल स्टोर, उदयपुर रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी छोगाराम प्रजापत पुत्र समाराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– उदयपुर रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म वाराही जनरल स्टोर के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड ब्राण्ड) के 16 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.)में से खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक ... लगातार	

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:33:46 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.11/2020**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-896 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./119/Act/2019/172 दिनांक 27.2.2019 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–1 (छोगाराम पुत्र समाराम, जाति– प्रजापत, निवासी– उदयपुर रोड, पिण्डवाडा) की फर्म वाराही जनरल स्टोर ने उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड ब्राण्ड) को प्रतिवादी संख्या–2 (देवीलाल पुत्र भूरमल, निवासी– 65, अग्रवालों का मोहल्ला, सुमेरपुर, जिला–पाली) की फर्म बींजराज मोतीलाल, आदर्श मार्केट, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर से जरिये बिल क्रय किया था एवं प्रतिवादी संख्या–2 की फर्म बींजराज मोतीलाल, आदर्श मार्केट, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर ने उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड ब्राण्ड) को प्रतिवादी संख्या–3 (वागाराम पुत्र जोधराम चौधरी, ग्राम फालाना, जिला– पाली) की फर्म वृन्दावन ब्रोकर, पोस्ट ऑफिस रोड, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला– पाली से जरिये बिल क्रय किया व प्रतिवादी संख्या–3 की फर्म वृन्दावन ब्रोकर ने उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड ब्राण्ड) को फर्म मण्डोर स्पाइसेज एण्ड प्रोपराईटरी फूड प्रोडक्ट्स, एच–30, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया, जोधपुर से क्रय किया है जो उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता/पैकर फर्म है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–4 (राजकमल पंचारिया) की फर्म मण्डोर स्पाइसेज एण्ड प्रोपराईटरी फूड प्रोडेक्टस, एच–30, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया, जोधपुर द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या–1 से 3 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत फर्म मण्डोर स्पाइसेज एण्ड प्रोपराईटरी फूड प्रोडक्टस, एच–30, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया, जोधपुर पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी राजकमल पंचारिया, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मण्डोर स्पाइसेज एण्ड प्रोपराईटरी फूड प्रोडक्टस, एच–30, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया, जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.10.2020 को पेश हो।

5/10/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001,

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:33:46 IST
Reason: SelfAttested